न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 10/2022

बउनवान

कपिल दत्तक पुत्र सुन्दरलाल जाति महाजन निवासी झालावाड़ रोड़, बारां तहसील बारां जिला बारां (प्रार्थी)

बनाम

1. राज0 सरकार जर्ये तहसीलदार बारां
2. सुन्दरलाल पुत्र भंवरलाल जाति महाजन निवासी बारां (अप्रार्थीगण)

पुनरावलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 86 भू राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी निर्णय दिनांक 14.02.2022 श्रीमान् न्यायालय प्रकरण संख्या 12/2021 बउनवान कपिल बनाम राज0 सरकार वगैरह

उपस्थिति :– 1. श्री ओम भारद्वाज अभिभाषक (प्रार्थी)

2. श्री पेरोकार सरकार (अप्रार्थी क्रम–1)

निर्णय दिनांक 17.08.2022

प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक पुनरावलोकन याचिका इस आशय की पेश हुई कि न्यायालय जिला कलक्टर, बारां में उनवानी अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि अप्रार्थी क्रम संख्या 2 द्वारा अपनी पत्नि नन्दूबाई के देहान्त होने के पश्चात ग्राम तलावडा की आराजी खसरा नं. 332 रकबा 5.17 हैक्टर पर प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 2 का अपने गोदपुत्र के नाम ग्राम तलावडा की आराजी पर इंतकाल खुलवाने का आवेदन पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुये दिनांक 29.05.2015 को प्रकरण संख्या 106/2015 में आदेश पारित किया गया परन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त आदेश की पालना न कर नामान्तकरण संख्या 377 में प्रार्थी की वल्दियत उसके प्राकृतिक पिता के नाम से दर्ज कर दी गई। जबकी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को दिनांक 26.11.2014 के रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर मृतक नन्दूबाई के स्थान पर दत्तक पुत्र (गोद पुत्र) के नाम से अंकित करने के आदेश दिये थे। इस कारण नामान्तकरण संख्या 377 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां के निर्णय दिनांक 29.05.2015 अनुसार नामान्तकरण तस्दीक किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। परन्तु न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो की अनदेखी करते हुये न्यायालय तहसीलदार बारां के निर्णय दिनांक 29.05.2015 को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने व चाराजोही करने की सलाह देकर प्रकरण को सारहीन मानते हुये [illegible] आदेश दिनांक 14.02.2022 पारित किया गया है। जो Error appearant on the face of record होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तथा जिससे असन्तुष्ट होकर प्रार्थी पुनरावलोकन याचिका प्रस्तुत कर रहा है। अतः न्यायालय जिला कलक्टर बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2022 निरस्त करते हुये पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विधिसम्मत आदेश पारित [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.08 15:05:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

क्रम–2 दिनांक 23.06.2022 को स्वंय उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक प्रार्थी व पेरोकार सरकार की सुनी। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 106/2015 में पारित दिनांक 29.05.2015 की राजस्व कर्मचारियों द्वारा पालना नही कर नामान्तकरण संख्या 377 में प्रार्थी की वल्दियत उसके प्राकृतिक पिता के नाम से दर्ज कर दी गई। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को दिनांक 26.11.2014 के रजिस्टर्ड गोदनामे के आधार पर मृतक नन्दूबाई के स्थान पर दत्तक पुत्र (गोद पुत्र) के नाम से अंकित करने के आदेश दिये थे। इस कारण अपील प्रकरण संख्या 12/2021 से नामान्तकरण संख्या 377 को निरस्त किये जाने हेतु निवेदन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.05.2015 अनुसार नामान्तकरण तजदीक किये जाने हेतु निवेदन किया गया था। परन्तु न्यायालय श्रीमान् द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो की अनदेखी करते हुये न्यायालय तहसीलदार बारां के निर्णय दिनांक 29.05.2015 को सक्षम न्यायालय में चुनौती देने व चाराजोही करने की सलाह देकर प्रकरण को सारहीन मानते हुये खारिज फरमाने का अविधिक आदेश दिनांक 14.02.2022 पारित किया गया है। जो Error appearant on the Face of record होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.02.2022 निरस्त करते हुये पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विधिसम्मत आदेश फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने नामान्तकरण संख्या 377 दिनांक 17.06.2015 प्रकरण संख्या 106/15 जांच गोदनामा में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2015 की पालना में विधिनुरूप खोला गया है। यदि इसमें प्रार्थी को कोई आपत्ति थी तो उन्हे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 106/15 जांच गोदनामा में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2015 को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिये थी। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.02.2022 में कोई त्रुटि नही है। अतः प्रार्थी का पुनरावलोकन प्रार्थना खारिज फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपात अवलोकन किया। अपील में प्राकृतिक पिता के स्थान पर दत्तक पुत्र के रूप में संयोजित करने की प्रार्थना की गई थी तथा उक्त अपील इस आधार पर खारिज की गयी थी कि प्रश्नगत नामान्तकरण तहसीलदार बारां के निर्णय दिनांक 29.05.2015 के आधार पर खोला गया है। यदि इसमें अपीलांट को कोई आपत्ति थी तो वे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 106/15 जांच गोदनामा में पारित निर्णय दिनांक 29.05.2015 के विरूद्ध चाराजोही हेतु स्वतंत्र है। अतः न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 14.02.2022 में कोई त्रुटि नही होना पायी जाती है।

परिणामस्वरूपः प्रार्थी का पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07.09.2022 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.09.08 15:05:15 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)